कार्यालय, महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश

संख्या–एम0ई0–3 / यू0जी0–2024 /   लखनऊ दिनांक 21 सितम्बर, 2024

यू0पी0 नीट पी0जी0–2024 के अन्तर्गत ऑनलाईन काउंसिलिंग हेतु पंजीकरण के संबंध में आवश्यक सूचना–

एन0बी0ई0एम0एस, एम0सी0सी0 एवं एन0एम0सी0 नई दिल्ली द्वारा आयोजित बैठक दिनांक 20.09.2024 में दिये गये दिशा–निर्देशों के कम में यू0पी0 नीट पी0जी0–2024 की कांउसिलिंग के अन्तर्गत एम0डी0 / एम0एस0 / डिप्लोमा / डी0एन0बी पाठ्यक्रमों में ऑनलाईन पंजीकरण (Online Registration) की तिथियाँ निम्नवत् निर्धारित की जाती है–

कसं	विवरण	विवरण	कुल दिवस
1	ऑनलाईन पंजीकरण एवं धरोहर धनराशि जमा करने की तिथि	दिनांक 23 सितम्बर 2024 (मध्यान्ह 12:00 बजे) से दिनांक 28 सितम्बर 2024 (अपरान्ह 5:00 बजे) तक	06 दिवस

- नीट पी0जी0–2024 की प्रवेश परीक्षा में सफल घोषित किए गये अभ्यर्थी ही यू0पी0 नीट पी0जी0 2024 की काउसिलिंग में प्रतिभाग किये जाने हेतु अर्ह है।
- **यू0पी0 नीट पी0जी0 कांउसिलिंग–2024 के अन्तर्गत अर्ह अभ्यर्थियों के ऑनलाईन पंजीकरण हेतु पोर्टल केवल एक बार ही खोला जायेगा।**
- **उक्तानुसार निर्धारित तिथियों में पंजीकृत अभ्यर्थी ही प्रथम चक, द्वितीय चक, तृतीय चक तथा स्ट्रे वैकेन्सी राउण्ड तक की कांउसिलिंग प्रकिया में प्रतिभाग किये जाने हेतु अर्ह होगें। यू0पी0 नीट पी0जी0 2024 हेतु ऑनलाईन पंजीकरण प्रत्येक चक हेतु नही खोला जायेगा एवं न ही इस संबंध में प्राप्त प्रार्थना पत्रों पर विचार किया जायेगा।**
- यू0पी0 नीट पी0जी0 2024 की कांउसिलिंग हेतु अर्ह अभ्यर्थियों द्वारा वेबसाइट **https://upneet.gov.in** पर लॉगिन कर पंजीकरण शुल्क रू0 3000/–(रू0 तीन हजार मात्र) ऑनलाईन जमा कराते हुये पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है।
- पंजीकरण शुल्क किसी भी दशा मे वापस नही किया जायेगा अर्थात पंजीकरण शुल्क **(Non Refundable)** है।
- कांउसिलिंग मे प्रतिभाग किये जाने हेतु राजकीय क्षेत्र की (एम0डी0 / एम0एस0 / डिप्लोमा डी0एन0बी0 पाठ्यकमों की) सीटों हेतु रू0 30,000/–(रू0 तीस हजार मात्र) निजी क्षेत्र की (एम0डी0 / एम0एस0 पाठ्यकमों) की सीटों हेतु रू0 2,00,000/– (रू0 दो लाख मात्र) सिक्योरिटी धनराशि ऑन–लाईन जमा किया जाना अनिवार्य है। सिक्योरिटी धनराशि रू0 2,00,000/– जमा करने पर अभ्यर्थी निजी एवं राजकीय क्षेत्र की सीटों की कांउसिलिंग हेतु अर्ह होगा।
- ऐसे अभ्यर्थी जिनकी सिक्योरिटी धनराशि जमा नही होगी, वह काउंसिलिंग प्रक्रिया में च्वाईस फिलिंग हेतु अर्ह नही होगें।
- दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के दिव्यांगता प्रमाण–पत्र भारत सरकार द्वारा निर्धारित केन्द्रों से जारी प्रारूप पर ही मान्य होगें।
- अद्यतन सूचनाओं हेतु वेबसाइट **www.dgme.up.gov.in** एवं **https:upneet.gov.in** का निरन्तर अवलोकन करते रहें।

कृते **महानिदेशक**